COURT BOOK
EMPOWERING LEGAL CLARITY

प्रेषक,

स्वामी नाथ पाण्डेय,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महासमादेष्टा,
होमगार्डस, उ0प्र0,
लखनऊ।

होमगाडर्स अनुभाग लखनऊ दिनांक 02 दिसम्बर, 2016

विषय: होमगार्डस स्वयंसेवकों एवं अवैतनिक अधिकारियों के पुन: बहाली सम्बन्धी प्रत्यावेदनों का निस्तारण किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-9589/कार्मिक/हो0स्वा0-18/2011, दिनांक 16.11.2016 एवं पत्र संख्या-9590/कार्मिक/हो0स्वा0-18/2011, दिनांक 16.11.2016 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2 उक्त के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि होमगार्डस अधिनियम 1963 की धारा-6(1) में दिये गये प्राविधानानुसार होमगार्डस स्वयंसेवकों एवं अवैतनिक अधिकारियों के पुन: बहाली सम्बन्धी प्रत्यावेदनों का निस्तारण किये जाने के सम्बन्ध में निम्नानुसार कार्यवाही करने हेतु निर्णय लिया गया है :-

<u>होमगार्डस स्वयंसेवकों की पुन: बहाली सम्बन्धी प्रत्यावेदनों के निस्तारण की प्रक्रिया</u>

(1) भूतपर्व होमगार्डस स्वयंसेवकों द्वारा निष्कासन आदेश जारी होने की तिथि से 02 वर्षो के अन्तर्गत प्रस्तुत किए जाने वाले बहाली सम्बन्धी प्रत्यावेदनों का निस्तारण गुण-दोष के आधार पर सम्बन्धित डिप्टी कमाण्डेण्ट जनरल/मण्डलीय कमाण्डेण्ट द्वारा सकारण लिखित आदेश द्वारा किया जायेगा। जहॉ पर दोनों अधिकारी तैनात हों उक्त स्थान पर सक्षम निर्णय डिप्टी कमाण्डेण्ट जनरल का होगा।

(2) भूतपूर्व होमगार्डस स्वयंसेवकों द्वारा निष्कासन आदेश जारी होने की तिथि से 02 वर्षो के पश्चात एवं 04 वर्षो के अन्तर्गत प्रस्तुत किए जाने वाले बहाली सम्बन्धी प्रत्यावेदनों व डिप्टी कमाण्डेण्ट जनरल/मण्डलीय कमाण्डेण्ट के निर्णय के विरूद्व अपील का निस्तारण कमाण्डेण्ट जनरल होमगार्डस, उत्तर प्रदेश द्वारा डिप्टी कमाण्डेण्ट जनरल (पुलिस)/डिप्टी कमाण्डेण्ट जनरल (विभागीय) से अनिम्न की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा अधिकृत स्तर के अनुमोदनोपरान्त गुण-दोष के आधार पर सकारण लिखित आदेश द्वारा किया जायेगा।

(3) भूतपूर्व होमगार्डस स्वयंसेवकों द्वारा निष्कासन आदेश जारी होने की तिथि से 04 वर्षो के पश्चात एवं 06 वर्षो के अन्तर्गत प्रस्तुत किए प्रत्यावेदनों तथा प्रत्यावेदन समिति के

http://shasanadesh.up.nic.in

निर्णय के विरूद्व अपील का निस्तारण गुण-दोष के आधार पर कमाण्डेण्ट जनरल होमगार्डस, उत्तर प्रदेश द्वारा किया जायेगा।

(4) भूतपूर्व होमगार्डस स्वयंसेवकों द्वारा अपना निष्कासन आदेश जारी होने की तिथि से 06 वर्षो के उपरान्त प्रस्तुत किये जाने वाले बहाली सम्बन्धी प्रत्यावेदनों अथवा 50 वर्ष की आयु से अधिक भूतपूर्व होमगार्ड स्वयंसेवक के प्रत्यावेदनों पर किसी भी स्तर पर कोई विचार नहीं किया जायेगा।

(5) बहाली के समय प्रचलित होमगार्डस स्वयंसेवक के पद पर भर्ती हेतु निर्धारित शैक्षिक एवं शारीरिक अर्हताओं को पूर्ण करने वाले भूतपूर्व होमगार्ड स्व्यंसेवकों की बहाली पर ही विचार किया जायेगा साथ ही यह भी देखा जायेगा कि उनके चरित्र सत्यापन एवं मेडिकल परीक्षण में कोई प्रतिकूल तथ्य दृष्टिगत न हो।

(6) बहाल किये जाने के पश्चात ग्रामीण होमगार्डस को 13 दिवसीय पुनरावृत्ति प्रशिक्षण एवं शहरी होमगार्डस को 08 दिवसीय पुनरावृत्ति कैम्प प्रशिक्षण कराये जाने के उपरान्त ही ड्यूटी/परेड पर लिया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

(7) बहाली सम्बन्धी प्रत्यावेदनों पर तभी विचार किया जायेगा जब भूतपूर्व होमगार्डस से सम्बन्धित ब्लाक/कम्पनी में स्थान रिक्त हो।

(8) एक बार बहाल किये जाने के उपरान्त पुन: निष्कासित किये जाने वाले होमगार्डस के बहाली सम्बन्धी प्रत्यावेदनों पर विचार नहीं किया जायेगा।

(9) निम्नलिखित कारणों से निष्कासित किये गये होमगार्डस स्वयंसेवकों के बहाली सम्बन्धी प्रत्यावेदनों पर विचार नहीं किया जायेगा।

(क) अपराधिक मामलों में अभियोग पंजीकृत होने तथा आरोप पत्र मा0 न्यायालय में दाखिल होने पर मुकदमा मा0 न्यायालय में लम्बित होने की स्थिति में।

(ख) मा0 न्यायालय द्वारा सजायाफ्ता प्रकरणों में।

(ग) होमगार्डस अधिनियम की धारा-3(1) के अनतर्गत अनुशासनहीनता का आरोप जॉच में प्रमाणित पाये जाने पर किये गये निष्कासन के प्रकरणों में।

(घ) भ्रष्टाचार का आरोप जॉच में प्रमाणित पाये जाने पर किये गये निष्कासन के प्रकरणों में।

(ड) अवांछनीय गतिविधियों में संलिप्तता/दुराचरण/नैतिक अधमता का आरोप सिद्ध होने की स्थिति में।

<u>अवैतनिक अधिकारियों की पुन: बहाली सम्बन्धी प्रत्यावेदनों के निस्तारण की प्रक्रिया</u>

(1) भूतपर्व अवैतनिक अधिकारियों द्वारा निष्कासन आदेश जारी होने की तिथि से 03 वर्षो के अन्तर्गत प्रस्तुत किए जाने वाले बहाली सम्बन्धी प्रत्यावेदनों का निस्तारण कमाण्डेण्ट जनरल, होमगार्डस, उ0प्र0 द्वारा डिप्टी कमाण्डेण्ट जनरल (पुलिस)/डिप्टी कमाण्डेण्ट जनरल (विभागीय) से अनिम्न की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा अधिकृत स्तर के अनुमोदनोंपरान्त गुण-दोष के आधार पर सकारण लिखित आदेश से करेगी।

(2) भूतपूर्व अवैतनिक अधिकारियों द्वारा निष्कासन आदेश जारी होने की तिथि से 03 वर्षो के पश्चात एवं 06 वर्षो के अन्तर्गत प्रस्तुत किए गये प्रत्यावेदनों तथा प्रत्यावेदन समिति

http://shasanadesh.up.nic.in

COURT BOOK

के निर्णय के विरूद्ध अपील का निस्तारण गुण-दोष के आधार पर कमाण्डेण्ट जनरल होमगार्डस, उत्तर प्रदेश द्वारा किया जायेगा।

(3) भूतपूर्व अवैतनिक अधिकारियों द्वारा निष्कासन आदेश जारी होने की तिथि से 06 वर्षो के पश्चात के उपरान्त प्रस्तुत किए जाने वाले बहाली सम्बन्धी प्रत्यावेदनों अथवा 50 वर्ष की आयु से अधिक भूतपूर्व अवैतनिक अधिकारियों के प्रत्यावेदन पर किसी भी स्तर पर कोई विचार नहीं किया जायेगा।

(4) बहाली के समय अवैतनिक अधिकारियों के पद पर भर्ती हेतु प्रचलित निर्धारित शैक्षिक एवं शारीरिक अर्हताओं को पूर्ण करने वाले भूतपूर्व अवैतनिक अधिकारियों की बहाली पर ही विचार किया जायेगा साथ ही यह भी देखा जायेगा कि उनके चरित्र सत्यापन एवं मेडिकल परीक्षण में कोई प्रतिकूल तथ्य दृष्टिगत न हो।

(5) बहाल किये जाने के पश्चात अवैतनिक कम्पनी कमाण्डर/अवैतनिक सहायक कम्पनी कमाण्डर का 30 दिवसीय तथा अवैतनिक प्लाटून कमाण्डर का 21 दिवसीय प्रशिक्षण कराये जाने के उपरान्त ही ड्यूटी/परेड पर लिया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

(6) बहाली सम्बन्धी प्रत्यावेदन पर तभी विचार किया जायेगा जब भूतपूर्व अवैतनिक अधिकारियों से सम्बन्धित ब्लाक/कम्पनी में स्थान रिक्त हो।

(7) एक बार बहाल किये जाने के उपरान्त पुन: निष्कासित किये जाने वाले अवैतनिक अधिकारियों के बहाली सम्बन्धी प्रत्यावेदनों पर विचार नहीं किया जायेगा।

(8) निम्नलिखित कारणों से निष्कासित किये गये अवैतनिक अधिकारियों के बहाली सम्बन्धी प्रत्यावेदनों पर विचार नहीं किया जायेगा।

(क) अपराधिक मामलों में अभियोग पंजीकृत होने तथा आरोप पत्र मा0 न्यायालय में दाखिल होने पर मुकदमा मा0 न्यायालय में लम्बित होने की स्थिति में।

(ख) मा0 न्यायालय द्वारा सजायाफ्ता प्रकरणों में।

(ग) होमगार्डस अधिनियम की धारा-3(1) के अनतर्गत अनुशासनहीनता का आरोप जॉच में प्रमाणित पाये जाने पर किये गये निष्कासन के प्रकरणों में।

(घ) भ्रष्टाचार का आरोप जॉच में प्रमाणित पाये जाने पर किये गये निष्कासन के प्रकरणों में।

(ड) अवांछनीय गतिविधियों में संलिप्तता/दुराचरण/नैतिक अधमता का आरोप सिद्ध होने की स्थिति में।

कृपया तदनुसार निर्देशों का कडाई से अनुपालन कराने का कष्ट करें।

भवदीय
स्वामी नाथ पाण्डेय
संयुक्त सचिव।

http://srisanadesh.up.nic.in

COURT BOOK

संख्या-66/2019/1852/पन्चानवे-19-332 होगा/16

प्रेषक,

अनिल कुमार,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महासमादेष्टा,
होमगार्डस, उ0प्र0,
लखनऊ।

होमगाडर्स अनुभाग लखनऊ दिनांक 19 नवम्बर, 2019

विषय: होमगार्डस स्वयंसेवकों एवं अवैतनिक अधिकारियों के पुन: बहाली सम्बन्धी प्रत्यावेदनों का निस्तारण किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-11679/कार्मिक/प्रस्ताव-39/2017, दिनांक 20 सितम्बर, 2019 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2 इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश संख्या-57/2016/2455/पन्चानबे-16-332 होगा/16, दिनांक 02 दिसम्बर, 2016 के प्रस्तर-2 में होमगार्डस स्वयंसेवकों की पुन: बहाली सम्बन्धी प्रत्यावेदनों के निस्तारण की प्रक्रिया के उप प्रस्तर-(5) तथा अवैतनिक अधिकारियों की पुन: बहाली सम्बन्धी प्रत्यावेदनों के निस्तारण की प्रक्रिया के उप प्रस्तर-(4) को इस सीमा तक संशोधित किया जाता है कि "भूतपूर्व होमगार्डस स्वयंसेवक/अवैतनिक अधिकारी की पुन: बहाली के समय सम्बन्धित भूतपूर्व होमगार्डस स्वयंसेवक/अवैतनिक अधिकारी की भर्ती के समय, जो शैक्षिक योग्यता निर्धारित थी, उसी के आधार पर पुन: बहाल किये जाने पर विचार किया जाय।"

3. शासनादेश संख्या-57/2016/2455/पन्चानबे-16-332 होगा/16, दिनांक 02 दिसम्बर, 2016 को उक्त सीमा तक संशोधित समझा जाय। कृपया उक्त के अनुसार कार्यवाही करने करने का कष्ट करें।

भवदीय
अनिल कुमार
प्रमुख सचिव।

संख्या-66/2019/1852(1)/पन्चानबे-19 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. समस्त उप महासमादेष्टा/समस्त मण्डलीय कमाण्डेण्ट/समस्त जिला कमाण्डेण्ट, होमगार्डस, उ0प्र0।
2. गार्डबुक।

आज्ञा से,
निर्मला श्रीवास्तव
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in